

मांग संख्या 48

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 2010-2015 की अवधि में राज्य को निम्नानुसार मदों में दशयि अनुसार राशि प्राप्त होना है :-

अनु.	मद	(राशि ` करोड़ में)	
		राशि	अवधि
1.	जिला नवाचार निधि	18.00	2011-2015
2.	प्रशासन अकादमी का निर्माण	28.00	2011-2015
3.	पुलिस प्रशिक्षण	42.00	2011-2015
4.	पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों का निर्माण	250.00	2011-2015
5.	कारागार अवसंरचना का सुदृढीकरण	150.00	2011-2015
6.	शासकीय सेवकों/पेंशनरों के डाटाबेस	10.00	2010-2015
7.	वनों का रख-रखाव	411.12	2010-2015
8.	स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढीकरण	66.00	2011-2015
9.	सर्वशिक्षा अभियान	857.00	2010-2015
10.	न्याय वितरण में सुधार	125.10	2010-2015
11.	सड़क एवं पुल का रख-रखाव	362.00	2011-2015
12.	राज्य की सांख्यिकी प्रणाली में सुधार	18.00	2010-2015
13.	विशिष्ट पहचान पत्र (यू.आई.डी.)	91.00	2010-2015
14.	पुरातत्व संरक्षण	45.00	2011-2015
15.	नई राजधानी विकास	550.00	2011-2015
16.	आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	150.00	2011-2015

उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाली राशि के आधार पर वर्ष 2012-13 हेतु नवीन मद के रूप में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

मुख्यशीर्ष 2070

मद क्रमांक 1

प्रशासन अकादमी :- वर्ष 2012-13 में प्रशासन अकादमी हेतु फर्नीचर क्रय के लिए राशि ` 89.52 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 89,52,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4059

मद क्रमांक 2

(1) जेल :-

कारागार अवसंरचना के सुदृढीकरण मद के अंतर्गत केन्द्रीय जेल रायपुर में हाई सिक्यूरिटी जोन का निर्माण कार्य, केन्द्रीय जेल बिलासपुर में 11 बैरक का निर्माण (प्रति बैरक 20 बंदी क्षमता वाली), 03 जिलों (दुर्ग, बिलासपुर एवं दंतेवाड़ा) में 111 नग आवासीय भवनों का निर्माण, नवीन जिला जेल दंतेवाड़ा में 20 बंदी क्षमता वाली 10 बैरक का निर्माण तथा केन्द्रीय जेल बिलासपुर एवं नवीन जेल दंतेवाड़ा में प्रति बैरक 4 शौचालय एवं 4 स्नानागार के मान से कुल 84 नग शौचालय एवं 84 नग स्नानागार का निर्माण हेतु राशि ` 3750.00 लाख का व्यय संभावित है ।

(2) पुलिस:-

पुलिस अकादमी, चंदखुरी तथा जंगलवार फेयर कालेज, कांकेर में पुलिस प्रशिक्षण हेतु भवनों का निर्माण मद में राशि ` 1050.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 48,00,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्यशीर्ष 4202

मद क्रमांक 3

पुरातत्व संरक्षण मद में वर्ष 2012-13 में शिव मंदिर, छिंदगांव जिला बस्तर, कुलेश्वर मंदिर राजिम जिला गरियाबंद, सिद्धेश्वर मंदिर पलारी जिला बलौदा बाजार एवं सतमहला समूह कलछा-भदवाही जिला सरगुजा में अनुरक्षण कार्य तथा पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण सिरपुर जिला महासमुंद, जिला पुरातत्व संग्रहालय का निर्माण बिलासपुर जिला बिलासपुर हेतु राशि ` 670.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 6,70,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्यशीर्ष 4210

मद क्रमांक 4

वर्ष 2012-13 में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढीकरण मद में 50 उपस्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण (राशि ` 20.91 लाख प्रति दर से) हेतु अपरीक्षित मद के रूप में राशि ` 1045.50 लाख का व्यय संभावित है :-

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	क्रमांक	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	रिमार्क
1	राजनांदगांव	डोंगरगांव	1	छीवान झिरिया	सामान्य क्षेत्र
			2	बनहरीद	सामान्य क्षेत्र
			3	भोथली	सामान्य क्षेत्र
			4	रामाटोला	सामान्य क्षेत्र
			5	मेढा	सामान्य क्षेत्र
			6	मुदीपार	सामान्य क्षेत्र
		छुईखदान	7	ठाकुर टोला	सामान्य क्षेत्र
			8	समनापुर	सामान्य क्षेत्र
			9	भुरभुसी	सामान्य क्षेत्र
			10	कटंगी	सामान्य क्षेत्र
			11	टिकरीपारा	सामान्य क्षेत्र
			12	चपांटोला	सामान्य क्षेत्र
		13	घुमका	ढाबा	सामान्य क्षेत्र
2	कबीरधाम	कबीरधाम	14	कवर्धा-2	सामान्य क्षेत्र
			15	कवर्धा-3	सामान्य क्षेत्र
			16	मानिकचौरी	सामान्य क्षेत्र
		बोडल	17	कोयलारझोरी	सामान्य क्षेत्र
		पंडरिया	18	कुम्ही	सामान्य क्षेत्र
3	रायपुर	अभनपुर	19	पारागांव	सामान्य क्षेत्र
		भाटापारा	20	कोसमंदा	सामान्य क्षेत्र
4	जांजगीर	सक्ती	21	सरायपाली (पौरथा)	सामान्य क्षेत्र
5	धमतरी	कुरूद	22	गाढ़ाडीह	सामान्य क्षेत्र
6	दुर्गा	गुडरदेही	23	तवेरा	सामान्य क्षेत्र
7	बिलासपुर	बिल्हा	24	बुन्देला	सामान्य क्षेत्र
			25	मंगला	सामान्य क्षेत्र
8	बिलासपुर	मुंगेली	26	टेमरी	अनुसूचित जाति क्षेत्र
		पथरीया	27	छिंदभोग	अनुसूचित जाति क्षेत्र
		पथरीया	28	बगमुड़वा	अनुसूचित जाति क्षेत्र
9	जांजगीर	अकलतरा	29	पकरिया (लटिया)	अनुसूचित जाति क्षेत्र
		मालखरौदा	30	आडिल	अनुसूचित जाति क्षेत्र

10	रायपुर	पलारी	31	सलौनी	अनुसूचित जाति क्षेत्र
11	सरगुजा	भैयाथान	32	खौपा	आदिवासी क्षेत्र
		सीतापुर	33	गिरहुलडीह	आदिवासी क्षेत्र
		सीतापुर	34	केरजू	आदिवासी क्षेत्र
		ओड़गी	35	मोहली	आदिवासी क्षेत्र
		रमानुजनगर	36	कुशपुर	आदिवासी क्षेत्र
		प्रेमनगर	37	हरिहरपुर	आदिवासी क्षेत्र
		रामानुजनगर	38	अगस्तपुर	आदिवासी क्षेत्र
		सूरजपुर	39	चंपकनगर	आदिवासी क्षेत्र
12	राजनांदगांव	मानपुर	40	खडगांव	आदिवासी क्षेत्र
		मानपुर	41	भरीटोला	आदिवासी क्षेत्र
		मोहला	42	वासडी	आदिवासी क्षेत्र
		मोहला	43	पंडरवानी	आदिवासी क्षेत्र
		अंवागढ़ चौकी	44	चिखली	आदिवासी क्षेत्र
		अंवागढ़ चौकी	45	हाथी कन्हार	आदिवासी क्षेत्र
		अंवागढ़ चौकी	46	सांगली	आदिवासी क्षेत्र
		अंवागढ़ चौकी	47	चिल्हाटी	आदिवासी क्षेत्र
		अंवागढ़ चौकी	48	कौडीकसा	आदिवासी क्षेत्र
		अंवागढ़ चौकी	49	गोधरा	आदिवासी क्षेत्र
		अंवागढ़ चौकी	50	दसेर	आदिवासी क्षेत्र

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 10,45,50,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 5

वर्ष 2012-13 में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढीकरण मद में निम्नानुसार 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण (राशि ` 45.23 लाख प्रति दर से) हेतु अपरीक्षित मद के रूप में राशि ` 180.92 लाख का व्यय संभावित है :-

क्रमांक	जिला	विकासखण्ड	उप स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	रिमार्क
1	बिलासपुर	कोटा	बेलगहना	सामान्य क्षेत्र
2	रायपुर	धरसीवा	बोरियाखुर्द	सामान्य क्षेत्र
3	जांजगीर	अकलतरा	तिलाई	अनुसूचित जाति क्षेत्र
4	जशपुर	कुनकुरी	नारायणपुर	आदिवासी क्षेत्र

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 1,80,92,000 का प्रावधान किया गया है ।

मद क्रमांक 6

वर्ष 2012-13 में स्वास्थ्य अवसंरचना के सुदृढीकरण मद में निम्नानुसार 30 आयुष औषधालय निर्माण (राशि ` 12.00 लाख प्रति दर से) हेतु राशि ` 360.00 लाख का व्यय संभावित है :-

क्र.	जिला	वि.ख. का नाम	औषधालय का नाम	रिमार्क
1	बिलासपुर	मुंगेली	शासकीय आयुर्वेद औषधालय जरहागांव	सामान्य क्षेत्र
2		बिल्हा	शासकीय होम्योपैथी औषधालय मोपका	सामान्य क्षेत्र
3		पेण्ड्रा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय नवागांव	सामान्य क्षेत्र

4	दुर्ग	धमधा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय धमधा	सामान्य क्षेत्र
5		साजा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय कन्हैरा	सामान्य क्षेत्र
6		साजा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय खातीग्राम	सामान्य क्षेत्र
7		दुर्ग	शासकीय आयुर्वेद औषधालय अण्डा	सामान्य क्षेत्र
8	कबीरधाम	बोडला	शासकीय आयुर्वेद औषधालय पोड़ी	सामान्य क्षेत्र
9		बोडला	शासकीय आयुर्वेद औषधालय चिल्फी	सामान्य क्षेत्र
10		कवर्धा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय चचेड़ी	सामान्य क्षेत्र
11	महासमुंद	महासमुंद	शासकीय आयुर्वेद औषधालय खट्टी	सामान्य क्षेत्र
12		पिथौरा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय अनसूला	सामान्य क्षेत्र
13		बसना	शासकीय आयुर्वेद औषधालय कोलिहादेवरी	सामान्य क्षेत्र
14	धमतरी	धमतरी	शासकीय आयुर्वेद औषधालय आमदी	सामान्य क्षेत्र
15		धमतरी	शासकीय आयुर्वेद औषधालय कुरा	सामान्य क्षेत्र
16		कुरुद	शासकीय आयुर्वेद औषधालय सकरी	सामान्य क्षेत्र
17		कुरुद	शासकीय आयुर्वेद औषधालय कातलबोड	सामान्य क्षेत्र
18	रायपुर	बलौदा बाजार	शासकीय आयुर्वेद औषधालय डमरू	सामान्य क्षेत्र
19		तिल्दा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय खौना	सामान्य क्षेत्र
20		धरसीवा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय जरोदा	सामान्य क्षेत्र
21		धरसीवा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय कुकेरा	सामान्य क्षेत्र
22	राजनांदगांव	छुरिया	शासकीय आयुर्वेद औषधालय बेलरगोदी	सामान्य क्षेत्र
23		छुरिया	शासकीय आयुर्वेद औषधालय संबलपुर	सामान्य क्षेत्र
24		डोंगरगांव	शासकीय आयुर्वेद औषधालय खुज्जी	सामान्य क्षेत्र
25	जशपुर	बगीचा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय रनपुर	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
26		फरसाबाहार	शासकीय आयुर्वेद औषधालय अंकीरा	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र
27	जांजगीर	नवागढ़	शासकीय आयुर्वेद औषधालय धुरकोट	अनुसूचित जाति क्षेत्र
28		डभरा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय किरारी (ड)	अनुसूचित जाति क्षेत्र
29		चांपा	शासकीय आयुर्वेद औषधालय कांसा	अनुसूचित जाति क्षेत्र
30		बम्हनीडीह	शासकीय आयुर्वेद औषधालय बिरा	अनुसूचित जाति क्षेत्र

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 3,60,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4216

मद क्रमांक 7

वर्ष 2012-13 में पुलिस कार्मिकों हेतु 650 (अराजपत्रित पुलिस अधिकारी-100, एवं कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल-550) आवासीय भवनों के निर्माण मद में राशि ` 6250.00 लाख का व्यय अनुमानित है ।

अतः इस हेतु अपरीक्षित नवीन मद के रूप में राशि ` 62,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।

मुख्य शीर्ष 4235

मद क्रमांक 8

राज्य के सभी जिलों में वर्ष 2012-13 में 833 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण (` 4.50 लाख की दर से) हेतु राशि ` 3750.00 लाख का व्यय संभावित है । आंगनबाड़ी केन्द्रों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार है :-

क्र	जिले का नाम	आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या रिमार्क			योग-
		सामान्य क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति क्षेत्र	अनुसूचित जाति क्षेत्र	
1	कोरिया	12	13	0	25
2	महासमुन्द	5	0	1	6
3	जांजगीर	10	0	12	22
4	बिलासपुर	48	8	49	105
5	बस्तर	40	52	0	92
6	दुर्ग	38	5	2	45
7	रायपुर	54	5	32	91
8	सरगुजा	60	79	0	139
9	दंतेवाड़ा	23	33	0	56
10	कांकेर	15	22	0	37
11	राजनांदगांव	21	4	0	25
12	धमतरी	1	1	0	2
13	रायगढ़	24	17	4	45
14	बीजापुर	16	22	0	38
15	कवर्धा	9	0	0	9
16	नारायणपुर	4	6	0	10
17	कोरबा	17	21	0	38
18	जशपुर	20	28	0	48
योग		417	316	100	833

अतः इस हेतु नवीन मद के रूप में राशि ` 37,50,00,000 का प्रावधान किया गया है ।